निगरानी — जगत किशोर रु. नं. 89/18

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 17.5.24 | पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोंडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही, दिनांक 14.6.24 को पेश हो। [signature] | |
| 14.6.24 | पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित. पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो। | |
| 21.6.24 | पत्रावली पेश। वकील [illegible] पक्ष [illegible] पत्रावली [illegible] 19.7.24 को [illegible] RV | मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर |
| 19.7.24 | पत्रावली पेश। वकील [illegible] पक्ष [illegible] प्रा.पत्र O1 R10 CPC की सुनवाई हेतु [illegible] पेश किया। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई प्रा.पत्र का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। [illegible] किया। [illegible] प्रा.पत्र O1 R10 CPC स्वीकार किया जाता है। [illegible] 13 अंकित किया गया। वकील [illegible] की [illegible] बहस सुनी गई। [illegible] आदेश दिनांक 5.8.24 को पेश हो। RV<br>मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | अपीलार्थी सं. एक की ओर से [illegible] पैरवी नहीं हो ~~[illegible]~~ [illegible] 19/7/24 [signature] |
| 5/8/24 | पत्रावली पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। RV | |

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2018

1 प्रिंसिपल राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल रींगस।

अपीलांट

बनाम

1 नवल किशोर पुत्र दुर्गाप्रसाद
2 पुरूषोतम पुत्र रामोतार
3 मु. मोहनी बेवा रामोतार
4 भगवानी देवी बेवा मूलचन्द
5 सोहनलाल पुत्र मूलचन्द
6 सुशील पुत्र मूलचन्द
7 अशोक पुत्र मूलचन्द
8 सुलोचना पुत्री मूलचन्द
9 ललिता पुत्री मूलचन्द
10 बीना पुत्री मूलचन्द
11 जुगल किशोर पुत्र रामेश्वर
12 सुरजी देवी पत्नी बाबूलाल जाति सोनी निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
13 श्यामसुन्दर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति महाजन निवासी रींगस तहसील रींगस जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सीकर राज. प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 750/2002 बउनवानी नवल किशोर वगैरह बनाम प्रिंसिपल राजकीय सीनियर हाय सैकण्डरी स्कूल रींगस वगेरह दिनांकित 25.04.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नीलम प्रकाश, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

## –निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 750/2002 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 10 के पूर्वज मूलचन्द द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सीकर राज. के समक्ष एक नियमित वाद तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उसके साथ अपीलाधीन आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा कतई निराधार आधारों पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2018 को अपीलाधीन आदेश इस आशय का पारित कर दिया गया कि दिनांक 09.12.2002 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत खसरा नम्बर 677/5918 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 677 में से 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 में से पश्चिमी तरफ की रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि तन ग्राम रींगस की मौका की यथास्थिति बनाये रखने को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया गया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में सुविधा का संतुलन के बिन्दु का निस्तारण इस आधार पर अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण के पक्ष में पारित किये जाने में भारी भूल की गई है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजीयात 617/5918 ग्राम रींगस के 1996 पूर्व दुकाने होने का कथन किया है। साथ ही धीरे–धीरे बढकर कब्जे का भी कथन किया है जिसमें अगर वाद निस्तारण पूर्व कोई भी निर्णय बाबत प्रश्नगत आराजीयात किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थीगण के बजाए प्रार्थीगण को अधिक होगी। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के अपीलांट को प्रार्थीगण की सरकार भूमि पर अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश से अतिक्रमण करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निस्तारण भी इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण के पक्ष में किये जाने में भारी भूल की गई है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया शुद्धि का लगता है तथा प्रकरण में भूमि के पूर्व के मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, अनुसार प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के बीच भूमि बाबत, साक्ष्य एवं रिकार्ड अनुसार विवाद्यक तय होने है। अगर इस बीच में मौका स्थिति/कब्जे में परिवर्तन होता है तो हानि प्रार्थीगण को अधिक होगी, जबकि अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट को अधिक हानि हो रही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है क्योंकि अपीलाधीन आवेदन के प्रार्थीगण द्वारा सन् 2002 से प्रकरण को स्टे लेकर अटका कर रखा हुआ है तथा अवैध अतिक्रमण किये हुये बैठै है तथा स्कूल के खेल मैदान का समुचित विकास नहीं हो रहा है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संदर्भ में रकबे की कमी बेसी व नक्शे में दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी के गत एवं हाल रकबे के मिलान पर प्रार्थी का रकबा कम होना प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में दावे के निस्तारण तक विचारण न्यायालय ने मौके की यथास्थिति का स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाता है।

जहा तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में सुविधा का संतुलन के बिन्दु का निस्तारण इस आधार पर अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण के पक्ष में पारित किये जाने में विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

त्रुटि की गई है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजियात 617/5918 ग्राम रींगस के 1996 पूर्व दुकाने होने का कथन किया है। साथ ही धीरे–धीरे बढकर कब्जे का भी कथन किया है जिसमें अगर वाद निस्तारण पूर्व कोई भी निर्णय बाबत प्रश्नगत आराजियात किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थीगण के बजाए प्रार्थीगण को अधिक होगी। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के अपीलांट को प्रार्थीगण की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश से अतिक्रमण करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निस्तारण भी इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण के पक्ष में किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया शुद्धि का लगता है तथा प्रकरण में भूमि के पूर्व के निलान क्षेत्रफल, नक्शा, अनुसार प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के बीच भूमि बाबत, साक्ष्य एवं रिकार्ड अनुसार विवाद्यक तय होने है। अगर इस बीच में मौका स्थिति/कब्जे में परिवर्तन होता है तो हानि प्रार्थीगण को अधिक होगी, जबकि अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट को अधिक हानि हो रही है क्योंकि अपीलाधीन आवेदन के प्रार्थीगण द्वारा सन् 2002 से प्रकरण को स्टे लेकर अटका कर रखा हुआ है तथा अवैध अतिक्रमण किये हुये बैठै है तथा स्कूल के खेल मैदान का समुचित विकास नहीं हो रहा है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर